न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश भ्र०निवा०(V.B.U.P.S.E.B) मेरठ।

सी.सी. नं०- 18/102/2018
CNR - UPME 01-006688-2018
सरकार बनाम अनिल कुमार
थाना- एका
जिला- फिरोजाबाद
मु०अ०सं०-48/2018

04.10.2023

1. पत्रावली प्रार्थना पत्र 31ख पर आदेश हेतु नियत है। सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त की ओर से लिखित बहस दाखिल की गयी है जिसका अवलोकन किया गया।

2. प्रार्थना पत्र 31ख अभियुक्त की ओर से उन्मोचित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इन आधारों का उल्लेख किया गया है। अभियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एका जिला फिरोजाबाद में हैल्थ सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उसको वेतन से संबंधित बिल तैयार किये जाने का अतिरिक्त कार्य भी दिया था। शिकायतकर्ता डॉ0 रविमोहन नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सफीपुर में, डॉ बी.पी. सिंह पर्यवेक्षण में नियुक्त थे। वेतन के भुगतान के लिए आहरण अधिकारी भी डॉ बी.पी. सिंह थे। शिकायतकर्ता के वेतन के भुगतान का कोई दायित्व अभियुक्त के पास नहीं था, क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। उसका कार्य केवल वेतन के बिल तैयार करना था। अभियुक्त के द्वारा शिकायतकर्ता का वेतन दिनांक 26.03.2018 को तैयार करके भुगतान के लिए भेजा गया। दिनांक 30.03.2018 को शिकायतकर्ता के भारतीय स्टेट बैंक के खाते में वेतन की धनराशि अंतरित हो गयी। जिसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के पत्र में भी किया गया है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति प्रदान करते हुए इन तथ्यों की अनदेखी की गयी है। अभियुक्त, शिकायतकर्ता डॉ0 रविमोहन का अधीनस्थ कर्मचारी था, इसलिए वह कभी उनसे रिश्वत की मांग नहीं कर सकता, बल्कि डॉ0 रविमोहन स्वास्थ्य केन्द्र में अनुपस्थिति रहने का आदी था। उसके समय में भी डॉ बी.पी. सिंह के द्वारा किये गये निरीक्षण में भी उसकी अनुपस्थिति दिखाई। जिस कारण भ्रष्टाचार निवारण संगठन में झूठी शिकायत की गयी। शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र में रामपाल सिंह निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के द्वारा कोई वास्तविक जांच नहीं की गयी, केवल ट्रैप करने के लिए आधार बनाने की रिपोर्ट तैयार की गयी। दिनांक 28.03.2018 को ही प्रारम्भिक जांच किया जाना प्रदर्शित

किया गया है तथा दिनांक 28.03.2018 को ही ट्रैप टीम का गठन किया गया है। उसी दिन जिलाधिकारी फिरोजाबाद से साक्षी नियुक्त किये जाने भी प्रर्दिशत किया गया है। इस प्रकार प्रारम्भिक जांच किये जाने व ट्रैप टीम के गठन किये जाने के संबंध में असत्य कथनों का उल्लेख किया गया है। ट्रैप के प्रभारी राजीव यादव के द्वारा ट्रैप वाले स्थान पर किसी गवाह को लेने का प्रयास नहीं किया गया, ना ही मौके पर कोई फर्द तैयार करायी गयी। बल्कि फर्द बरामदगी से आधा किमी की दूर पर तैयार किया जाना प्रर्दिशत किया है। जिससे यह साबित है कि अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। राजीव यादव के द्वारा ट्रीटड़ नोटों को फर्द में बरामदगी करना दिखाया गया है। फर्द बरामदगी में अभियुक्त के द्वारा नोट लिये जाने के बाद उसको गिनने के संबंध में असत्य कथनों का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त ने उसको दिनांक 29.03.2018 को 10,000/ रूपये अरॉव पी.एच.सी. केन्द्र पर बुलाया, लेकिन इसके विपरीत शिकायतकर्ता के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कहने पर फोन करके नानू कोल्ड़ स्टोरेज से फोन किया गया। इस प्रकार शिकायत के अनुसार रिश्वत देने का समय व स्थान पहले से निर्धारित था तो टीम को पी.एच.सी. केन्द्र पर जाना चाहिए था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि शिकायतकर्ता के द्वारा 10000/ रूपये में मामला तय होने के संबंध में असत्य कथनो का उल्लेख किया गया है। फर्द में उसके पास पी.एच.सी. एका का अतिरिक्त प्रभार होने के संबंध में असत्य कथनो का उल्लेख किया गया है। थानाध्यक्ष एका के द्वारा बिना किसी मौखिक या लिखित रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज की गयी है। इस प्रकार समस्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त शिकायतकर्ता से रिश्वत लेने की स्थिति में नहीं था। उसके प्रश्नगत वेतन का बिल दिनांक 26.03.2018 को तैयार करके कोषागार में प्रेषित कर दिया गया था। इसके आधार पर दिनांक 30.03.2018 को भुगतान भी हो गया। कथित ट्रैप के संबंध में मौके पर कोई फर्द तैयार नहीं की गयी और ना ही कोई बरामदगी का गवाह है। विवेचना भी निष्पक्ष रूप से नहीं की गयी, इसलिए उसके विरूद्ध रिश्वत की मांग करने या रिश्वत के रूप में धनराशि प्राप्त करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। रिश्वती नोटों की बरामदगी साबित नहीं है, इसलिए उसके विरूद्ध आरोप नहीं बनता है, इसलिए उसे उन्मोचित किया जाए। प्रार्थना पत्र के साथ में प्रपत्रों की छायाप्रति दाखिल की गयी।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा भी आपित्त दाखिल की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि केस डायरी में अंकित की गयी साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत के रूप में 27,500/— रूपये की मांग करना,

10,000/—रूपये बरामद होना संबंधित पर्याप्त साक्ष्य है। साक्ष्यों की सत्यता की परीक्षा विचारण के दौरान साक्ष्यों के उपरांत ही हो सकती है। फर्द प्रदर्शन तथा फर्द गिरफ्तारी की कार्यवाही स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष हुई, इसलिए उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

3. अभियुक्त के द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में लिये गये आधारों पर विचार किये जाने से पूर्व यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता डॉ0 रविमोहन के द्वारा प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई, आगरा को संबोधित इस आशय से प्रार्थना पत्र दिया कि वह नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सैफपुर अराँव, फिरोजाबाद में नियुक्त है। माह जुलाई से सितंबर, 2017 तक कुल तीन माह का वेतन गलत कोड होने के कारण रोक दिया था। जिसको शिकायतकर्ता के द्वारा लखनऊ से ठीक कराने के बाद स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी डॉ बी.पी. सिंह से बरामदगी हेतु तथा वेतन भुगतान हेतु वेतन लिपिक अनिल कुमार से मिलने को कहा। अनिल ने वेतन भुगतान के लिए उससे 27,500/— रूपये की मांग की। दिनांक 29.03. 2018 को 10,000/— रूपये पी.एच.सी. अराँव के पास रिश्वत के रूप में लेना तय हुआ। शेष धनराशि भुगतान के बाद लेना तय हुआ। शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप की गोपनीय जांच वादी के द्वारा निरीक्षक रामपाल सिंह से करायी गयी तो आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर ट्रैप की टीम के गठन के लिए पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ को सूचित किया गया। उनके आदेश के अनुसार ट्रैप टीम गठित की गयी। ट्रैप के लिए जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से दो स्वतंत्र गवाह लिये गये। ट्रैप में दिये जाने वाले नोटों को ट्रीटेड किया गया तथा फर्द प्रदर्शन तैयार की गयी, जिस पर ट्रैप टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर कराये गये। इसके उपरांत ट्रैप टीम के द्वारा की गयी कार्यवाही में अभियुक्त को दस हजार रूपये ट्रीटेड नोट लेते समय गिरफ्तार किया गया। उसी समय मौके पर फर्द तैयार की गयी तथा अभियुक्त, शिकायतकर्ता व निरीक्षक के हाथों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को सील किया गया। अभियुक्त के पास से लैदर पर्स से 36,500/— रूपये, ए.टी.एम.कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, गाड़ी की आर. सी., चाबी, सैमसंग का मोबाईल बरामद हुए। फर्द बरामदगी में अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। विवेचना के उपरांत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त ट्रैप के समय सील किये गये घोल को परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट कागज सं० 15ख पर

पत्रावली पर है। जिसमें फिनॉफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट के अंश पाये जाने की पुष्टि है। इसके अतिरिक्त विवेचक के द्वारा ट्रैप के समय तथा उससे पूर्व अभियुक्त व शिकायतकर्ता के मध्य फोन से हुई बातचीत के संबंध में मोबाईल की कॉल डिटेल प्राप्त करके केस डायरी में संलग्न किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र के मुख्य रूप से ये आधार लिये गये है कि वह शिकायतकर्ता का अधीनस्थ कर्मचारी था इसलिए उससे रिश्वत की धनराशि की मांग नही कर सकता था, वेतन के भुगतान का उसका कोई दायित्व नही था उसका कार्य केवल वेतन का बिल बनाने का था, उसके द्वारा बनाये गये बिल के आधार पर शिकायकर्ता का भुगतान हो गया, प्रारम्भिक जांच की कार्यवही मिथ्या है, ट्रैप के स्थान के संबधं में भी असत्य कथनो का उल्लेख किया गया, बरामदगी की फर्द पर मौक पर तैयार नही की गयी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाते समय वादी के द्वारा अलग से कोई प्रार्थना पत्र नही दिया गया है। इस प्रकार अभियुक्त की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में उपरोक्त जिन आध ाारो का उल्लेख किया गया है वे सभी अभियोजन प्रपत्रो तथा अभियोजन साक्षियो की विश्लेषण तथा उनकी साक्ष्यात्मक विश्वसनीयता से संबंधित है, उन्मोचन प्रार्थना पत्र के स्तर पर अभियोजन साक्षियो का साक्ष्य का अलोचनात्मक विश्लेषण किया जाना विधिक रूप से अनुमन्य नही है। विचारण के दौरान साक्षी की प्रतिपरीक्षा के उपरान्त ही इस प्रकार से साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **हजरत दीन बनाम उ0प्र0 राज्य ए0आई0आर0 2022 एस0सी0 94** में यह मत व्यक्त किया गया है कि, उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार किये जाते समय केस डायरी तथा अंकित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर विचार नहीं कर सकता है। **बिहारी लाल बनाम राजस्थान राज्य ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 180** में भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है। **राज्य बनाम दुरई स्वामी ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 480** में यह मत व्यक्त किया गया है कि, आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय अपीलीय न्यायालय की तरह साक्षियों की साक्ष्य की विश्वसनीयता के परीक्षण को आधार नहीं बना सकता। **गुलाम हसन बेग बनाम मौहम्मद मकबूल मगरे ए0आई0आर0 2022 एस0सी0 631** में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचार करते समय न्यायालय संक्षिप्त विचारण की तरह प्रकिया नहीं अपना सकती। प्रस्तुत मामले में भी अभियुक्त की ओर से अपने उन्मोचन प्रार्थनापत्र में जो उपरोक्त आधार लिये गये है, वे मुख्य रूप से साक्ष्य की विश्वसीनयता की विषय वस्तु है, जिनके

आधारों पर अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार नही बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय **उड़ीसा राज्य बनाम देवेन्द्रनाथ पाधी (2003)2 एस.सी.सी.711** में यह मत व्यक्त किया गया है कि आरोप के स्तर पर प्रतिरक्षा की साक्ष्य तथा तथ्यों पर विचार नही किया जा सकता है। केस ड़ायरी में उपलब्ध साक्ष्य को सत्य मानकर निष्कर्ष लिया जाना है।

4. अभियुक्त की ओर से भी अपने प्रार्थना पत्र में न्यायिक निर्णय एन. सुकन्ना बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य सी.आर.एल.जे. 2015 का संदर्भ इस संबंध में दिया गया है कि चूँकि अभियुक्त के द्वारा शिकायकर्ता का वेतन का बिल पहले से तैयार करके भुगतान के लिए भेज दिया गया था। इसलिए उसके विरूद्ध धारा 7 भ्र0नि0 अधि0 आरोप नही बनता है। अभियुक्त के द्वारा लिये गये इस आधार के संबंध में भी विविनश्य साक्ष्य के उपरांत ही हो सकता है क्योकि शिकायकर्ता के द्वारा माह जौलाई से अपने वेतन का भुगतान ना होने के संबंध में शिकायत की गयी है। इसलिए यह निर्णय अभियुक्त की कोई मदद नही करता है। अभियुक्त की ओर से से मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा संजीव रावत बनाम उ0प्र0 राज्य 2023ः ए.एच.सी.ः179057 का भी संदर्भ दिया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता हे कि इस निर्णय के प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा केस ड़ायरी में उल्लेखित साक्षियो के बयान से ही धारा 389, 386 भा0द0स0 के अपराध से संबंधित अवयव ना होने के कारण, उनसे उन्मोचित किये जाने के संबंध में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का सही ना पाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ 386, 389 में अभियोजन को समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया है। लेकिन शेष धाराओ में आरोप बनाये जाने तथा विचारण किये जाने के लिए पर्याप्त आधार होने का उल्लेख किया गया है। जबकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग करने तथा उसको रंगे हाथ पकड़ जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए इस मामले में यह निर्णय अभियुक्त की कोई मदद नही करता है। इस संबंध में अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

5. वैसे भी केस ड़ायरी में विवेचक के द्वारा साक्षियो के बयान अंकित किये गये जिसमें शिकायतकर्ता, ट्रैप की टीम सदस्यो तथा गवाहान के बयान अंकित किये गये है। जिनके द्वारा अभियुक्त के द्वारा शिकायतकर्ता से उत्कोच की मांग करने तथा उसको 10,000/ रूपये लेते समय गिरफतार किये जाने की पुष्टि की गयी है।

अभियुक्त को ट्रैप के समय पकड़े जाने पर नोटो पर लगे फिनोफथलीन पाउड़र के अभियुक्त के हाथ पर लग जाने के बाद सोड़ियम कार्बोनेट के घोल हाथ धुलवाने के कारण तैयार किये गये गुलाबी रंग के घोल तथा अन्य साक्षियो के हाथो के घोल को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है जिसमें फिनोफथलीन पाउड़र तथा सोड़ियम कार्बोनेट पाये जाने की पुष्टि हो चुकी है। अभियुक्त व शिकायतकर्ता के मध्य रिश्वत के आदान प्रदान के संबंध में मोबाइल पर हुई बातचीत के संबंध में सी.ड़ी.आर. रिपोर्ट भी विवेचक के द्वारा प्राप्त की गयी है। जिसमें अभियुक्त व शिकायतकर्ता के मध्य बातचीत होने की पुष्टि हो चुकी है। इस प्रकार विवेचना के दौरान केस ड़ायरी में अंकित की गयी साक्ष्य तथा संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बनाये जाने के लिए पर्याप्त आधार है। इसलिए यह नही कहा सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध निराधार आरोप लगाये गये या उसका अभियोजन किया गया है। जबकि अभियुक्त को उसी स्थिति में उन्मोचित किया जा सकता है कि जब अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार हो। इसलिए अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त ना होने के कारण यह प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त की ओर से उसको उन्मोचित किये जाने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र 31ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बनाये जाने आरोप दिनांक **20.10.2023** को पेश हो। अभियुक्त आरोप बनाये जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।

दिनांक 04.10.2023

(प्रहलाद सिंह–II)
विशेष सत्र न्यायाधीश, भ्रा0निवारण,
(V.B.U.P.S.E.B.) मेरठ।